सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 112 राँची, बुधवार 6 फाल्गुन 1936 (श०)

25 फरवरी, 2015 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

24 फरवरी, 2015

विषय: कोषागार संहिता के नियम 609 में आंशिक संशोधन के संबंध में ।

संख्या- वित्त-7/ वि०नि०-1001/2012/ 508/वि०-- कोषागार संहिता के नियम 609(1)(ख)(i) में स्पष्ट उल्लेख है कि दूसरे संक्षिप्त विपत्र (ए०सी० विपत्र) पर निकासी करने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक की पिछली बार लिये गये अग्रिम का विस्तृत विपत्र (डी०सी० विपत्र) प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जिस माह में अग्रिम निकासी की जाती है उसके दूसरे माह के अंत तक अवश्य डी०सी० विपत्र प्रस्तुत किया जाय। नियम 609(1)(ख)(iii) के अनुसार विपत्र कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार के पास भेजा जाना चाहिए ।

2. प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पिछली बार लिये गये अग्रिम की राशि का डी०सी० विपत्र का शत- प्रतिशत समायोजन हेतु महालेखाकार के समक्ष डी०सी० विपत्र प्रस्तुत करने में लम्बा समय लगता है। सम्प्रति उक्त अग्रिम की राशि से किये गये कार्यों से संबंधित अभिश्रव ससमय उपलब्ध नहीं हो पाता है एवं पूर्ण समायोजन के बिना अगली अग्रिम की राशि की निकासी नहीं होने के कारण विकासात्मक कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न होती है ।

3. अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी उप शीर्ष में किसी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा निकासी की गयी अंतिम ए॰सी॰ विपत्र की कुल राशि का 66 प्रतिशत एवं उसके पूर्व के बचे हुए सम्पूर्ण राशि का डी॰सी॰ विपत्र का समायोजन महालेखाकार के द्वारा करने के उपरांत ही दूसरे संक्षिप्त विपत्र (ए॰सी॰ विपत्र) से राशि की निकासी की जाय ताकि कार्यों की प्रगति में राशि के अभाव में बाधा उत्पन्न न हो ।

4. महालेखाकार कार्यालय एवं पी॰एम॰यू॰ कोषांग, वित्त विभाग उपशीर्षवार एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार लंबित ए॰सी॰ विपत्रों की राशि की जानकारी वेब इन्टरफेस ( ) के माध्यम से परस्पर साझा करेंगे ।

5. कोषागार संहिता के नियम 609 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजबाला वर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 112—50 ।